"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मार्च 2017— फाल्गुन 15 , शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-127/2011/29-1. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली लोक सेवा संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-127/2011/29, दिनांक 16-12-2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

1. सरल क्रमांक 5 एवं 6 के कॉलम 3 में, क्रमशः शब्द "जारी राशनकार्ड हेतु" के स्थान पर, शब्द " नवीन राशनकार्ड जारी करने / राशनकार्ड नवीनीकरण/निरस्तीकरण के लिये" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"7.	कार्यालय नगरीय निकाय	अन्त्योदय, प्राथमिकता राशनकार्ड एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत जारी राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/सदस्य विलोपित/अंतरित करने (शहरी क्षेत्र)	30 दिवस	नगरीय निकाय आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	कार्यालय ग्राम पंचायत	अन्त्योदय, प्राथमिकता राशनकार्ड एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत जारी राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/सदस्य विलोपित/अंतरित करने (ग्रामीण क्षेत्र)	30 दिवस	सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.